न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 767 / 2023

अनवान : –

1. पटेल पुत्र हरीराम जाति सुनार निवासी नोहर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. दया शंकर पुत्र नोरंगराम (कान्ता पुत्री हरीराम) जाति सुनार निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. संजय कुमार पुत्र नोरंगराम (कान्ता पुत्री हरीराम) जाति सुनार निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. नोरंगलाल पुत्र गणपतराम (पति कान्ता) जाति सुनार निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 18/10/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा मालिया तसहील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 6/6 के खसरा नं. 292 की कुल तादादी 9.3100 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 1 एन.एच.आर. –बी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 33/32 के कुल खसरे 19 की 2.9720 है0 भूमि मृतका कान्ता पुत्री हरीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है वादी की प्राकृतिक माता कान्ता व पिता नोरंगलाल है लेकिन वादी के नाना हरीराम ने वादी को मौखिक रूप से गोद लिया हुआ है लेकिन गोद लेने का कोई दस्तावेज नहीं बनवाया गया वादी बचपन से हरीराम के पास ही रहता है तथा वादी के दस्तावेजों में वल्दीयत हरीराम दर्ज है।

प्रतिवादी संख्या 3 उपरौक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहता तथा अपना जो भी हक हिस्सा है परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने पुत्रों के पक्ष में परित्याग कर चुका है इस प्रकार प्रतिवादीया संख्या 3 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग मुताबिक समझौता रोही मौजा मालिया तसहील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 6/6 के खसरा नं. 292 की कुल तादादी 9.3100 है0 भूमि में से

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:05:34 IST
Reason: SelfAttested

28

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

1/3 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ब0 हि0 ब0 काबिज है तथा रोही मौजा 1 एन.एच. आर.–बी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 33/32 के कुल खसरे 19 की 2.9720 है0 भूमि में वादी अकेला काबिज है वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी स0 4 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा मालिया सम्वत 2072–2075 खाता स0 6/6 प्रदर्श–1, जमाबंदी रोही मौजा 1 एनएचआरबी रोही सम्वत 2071–74 खाता संख्या 32/32 पदर्श–2, मृत्यु प्रमाण पत्र कान्ता प्रदर्श–3, वार्ड मैम्बर द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श–4 आदि प्रदर्शित करवाये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का जरिये अधिवक्ता इकबाल जवाब प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षसुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी की माता के नाम दर्ज है कान्ता पुत्री हरीराम का देहान्त हो चुका है। कान्ता के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 है प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत [illegible] के अनुसार रोही मौजा मालिया तसहील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 6/6 के खसरा नं. 292 की कुल तादादी 9.3100 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 1 एन.एच.आर.–बी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 33/32 के कुल खसरे 19 की 2.9720 है0 भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:05:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

मृतका कान्ता पुत्री हरीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। वार्ड मैम्बर द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा मृतक कान्ता के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मालिया तसहील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 6/6 के खसरा नं. 292 की कुल तादादी 9.3100 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि में मृतका कान्ता पुत्री हरीराम का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे तथा रोही मौजा 1 एन.एच.आर.–बी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 33/32 के कुल खसरे 19 की 2.9720 है0 भूमि में मृतका कान्ता पुत्री हरीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 18/10/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:05:34 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 767 / 2023

अनवान : –

1. पटेल पुत्र हरीराम जाति सुनार निवासी नोहर तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. दया शंकर पुत्र नोरंगराम (कान्ता पुत्री हरीराम) जाति सुनार निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. संजय कुमार पुत्र नोरंगराम (कान्ता पुत्री हरीराम) जाति सुनार निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. नोरंगलाल पुत्र गणपतराम (पति कान्ता) जाति सुनार निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 767 सन 2023 निर्णय दिनांक 18/10/2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मालिया तसहील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 6 / 6 के खसरा नं. 292 की कुल तादादी 9.3100 है0 भूमि में से 1 / 3 हिस्सा भूमि में मृतका कान्ता पुत्री हरीराम का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे तथा रोही मौजा 1 एन.एच.आर.–बी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 33 / 32 के कुल खसरे 19 की 2.9720 है0 भूमि में मृतका कान्ता पुत्री हरीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 /– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/10/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:05:34 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर